कार्यालय संयुक्त निदेशक फायर सर्विस मुख्यालय लखनऊ।

पत्रांकःभ–30/जे0डी0/फा0स0/लखनऊ–15(ईको03)/455 दिनांकः सितम्बर 9 2015,

सेवा मे,

महाप्रबन्धक (वास्तु एवं नियोजन),
ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण,
जनपद–गौतमबुद्धनगर।

विषयः **मैसर्स अवधेश इन्फाटेक प्र0 लि0, द्वारा प्लाट न0–06ए0, सेक्टर–टेकजोन–4 ग्रेटर नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर मे प्रस्तावित आई0टी0 (इन्टीटयूशनल) भवन के निर्माण हेतु मानचित्रों की अनुज्ञा हेतु प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध मे।**

सन्दर्भः यूआईडी:2015/130.29/जीबीएन/गौतमबुद्धनगर/2774/जे0डी0

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आवदेक द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ के माध्यम से प्रश्नगत एजुकेशनल भवन के निर्माण हेतु मानचित्र एवं अन्य वॉच्छनीय अभिलेख प्रस्तुत कर प्रोवीजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु की अपेक्षा की गई है।

उक्त के अनुपालन मे मानचित्रों एवं प्रस्तुत अभिलेखों का परीक्षण अग्निशमन अधिकारी ग्रेटर नौएडा द्वारा किया गया तथा उनकी संस्तुति आख्या दिनांकः 04–09–2015 का मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर एवं उपनिदेशक फायर सर्विस मेरठ द्वारा सुसंगत मानको के अनुसार परीक्षण किया गया तथा अपनी संस्तुति आख्याओं सहित पत्रावली को इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया जिसका विवरण निम्नवत हैः–

भवन की संरचनाः–

1–भूखण्ड एरियाः–41,084.00 वर्ग मी0 है, जिसमे प्रस्तावित ब्लॉक/टावर का एरिया विवरण निम्नवत हैः–

क्र0स0	नाम टावर	तलों का विवरण	भूतल कवर्ड एरिया वर्ग मी0।	स्टिल्ट कवर्ड एरिया वर्ग मी0	टिपिकल कवर्ड एरिया वर्ग मी0।	भवन की ऊचॉई मी0।
01	टावर–ए0	02बेस0, भूतल एवं 08 तल	1629.550	–	1629.550	38.80
02	टावर–बी0	02बेस0, भूतल एवं 16 तल	1480.860	–	1480.860	67.60
03	टावर–सी0	02बेस0, भूतल एवं 16 तल	1480.860	–	1480.860	67.60
04	टावर–डी0	02बेस0, भूतल एवं 05 तल	–	348.770	523.800	25.150
05	टावर–ई0	02बेस0, भूतल एवं 05 तल	66.110	320.00	365.730	25.800
06	टावर–एफ0	02बेस0, भूतल एवं प्रथम तल	1306.450	–	1306.450	09.100
07	टावर–जी0	02बेस0, भूतल एवं 02 तल	584.550	–	584.550	14.200
08	टावर–एच0	02बेस0, भूतल एवं 02 तल	584.550	–	584.990	14.200
09	टावर–जे0	02बेस0, भूतल एवं 02 तल	1220.480	–	1220.480/1090.384/232.960	09.300

बेसमेन्टः– प्रश्नगत भवन मे डबल बेसमेन्ट प्रस्तावित है। जिसका अपर/लोअर बेसमेन्ट का कवर्ड एरिया–33,843.79 वर्ग मी0 प्रत्येक।

भवन का अधिमोग एवं हैजार्ड विवरणः– प्रस्तावित भवन एन0बी0सी0–2005 की आई0टी0 भवन एजुकेशनल भवन श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

ढांचागत व्यवस्थाः–

1– **पहुॅच मार्गः–** भूखण्ड के सामने मानचित्रों मे 60 मी0 रोड की चौडाई अंकित की गई है।

2– **प्रवेश द्वारः–** प्रश्नगत भवन मे प्रवेश/निकास द्वार जिनकी चौडाई–06.00 मी0 मानक के अनुसार प्रस्तावित है।

3– **सैटबेकः–** प्रस्तावित भवन का सैटबेक निम्नवत हैः–

ए0–अग्रभाग–25.00 मी0।
बी0–पृष्ठ भाग–09.00 मी0।
सी0–पार्श्व भाग प्रथम–09.00 मी0।
डी0–पार्श्व भाग द्वितीय–09.00 मी0।

उपरोक्तानुसार प्रश्नगत भवन के सैटबेक भवन निर्माण एवं विकास उपविधि अनुसार है, जिसमे न्यूनतम 06 मीटर हार्ड सरफेस युक्त एवं सदैव अवरोध मुक्त रखे जाये जिसमे किसी प्रकार का स्थाई/अस्थायी निर्माण कार्य मान्य नही होगा तथा बेसमेन्ट की छत न्यूनतम 45 टन भार क्षमता की निर्मित किया जाना अनिवार्य होगा।

4–निकास मार्गः– प्रस्तावित भवन के प्रत्येक टावर/ब्लॉक मे 02 अदद स्टेयरकेस जिनकी चौडाई 01.50 मीटर है। एवं फ्लोर के समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेन्स अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है।

9/9

फायर ... लखनऊ

5–फायरमैन लिफ्ट:– प्रस्तावित भवन के प्रत्येक टावर/ब्लॉक मे प्रस्तावित लिफट मे से 01 लिफ्ट को फायरमैन लिफट के रूप मे निर्मित किया जाना अनिवार्य होगा।

6–रिफ्यूज एरिया:– प्रश्नगत भवन मे रिफ्यूज एरिया मानको के अनुसार प्रस्तावित है।

अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था:– नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया–2005 के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था वॉच्छनीय है।

1–भूमिगत टैंक: प्रश्नगत भवन मे अग्निशमन कार्यो हेतु दो–दो लाख लीटर क्षमता के 02 अदद भूमिगत टैंक 2,00,000 ली0, स्थापित कराया जाना वॉच्छनीय है।

2–पम्प:–प्रत्येक भूमिगत टैंक के पास मेन विद्युत चालित पम्प क्षमता 2850 एल0पी0एम0, समान क्षमता का डीजल चालित पम्प, स्प्रिंकलर पम्प 2850 एल0पीएम0 क्षमता, एवं 02 अदद जौकी पम्प 180 एल0पी0एम0, क्षमता का स्थापित कराया जाना वॉच्छनीय है।

3–होजरील:–प्रस्तावित भवन के प्रत्येक ब्लॉक/टावर मे होजरील लैण्डिंग वाल्व, की स्थापना मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।

4–वेटराइजर:–प्रस्तावित भवन मे वेटराईजर एन0बी0सी0 के अनुसार वॉच्छनीय है।

5–यार्ड हाईड्रेण्टस:–प्रस्तावित सम्पूर्ण भवन परिसर मे रिंग लाईन एवं उस पर यार्ड हाईड्रेण्टस होज केबिनेट एवं उसमे डिलीवरी होज तथा ब्रान्च पाइप तथा एवं फायर सर्विस इन्लेट का प्राविधान आई0एस0–3844–1989 के अनुसार वॉच्छनीय है।

6–आटोमेटिक डिडेक्शन एण्ड फायर एलार्म सिस्टम:–प्रश्नगत प्रस्तावित भवनों मे एन0बी0सी0 के अनुसार वॉच्छनीय है।

7–आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम:– आवासीय के अतिरिक्त सम्पूर्ण प्रश्नगत भवनों मे एन0बी0सी0 के अनुसार वॉच्छनीय है।

8–मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम:–प्रश्नगत भवन के प्रत्येक भवन मे मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम की स्थापना एन0बी0सी0 मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।

9–टेरिस टैंक:– प्रश्नगत भवन के प्रत्येक टावर मे 20,000 हजार एवं आवासीय मे 10,000 हजार लीटर क्षमता का टेरिस टैंक स्थापित कराया जाना प्रास्तावित है।

10–प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर):– प्रस्तावित भवन मे निर्माण के उपरान्त फायर एक्सटिंग्यूशर आई0एस0–2190 के अनुसार वॉच्छनीय है।

11–स्मोक एक्सट्रेक्शन सिस्टम:–प्रश्नगत भवन मे स्मोक एक्सट्रेक्शन सिस्टम की स्थापना एन0बी0सी0 मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।

12–प्रेशराईजेशन सिस्टम:–प्रश्नगत भवन मे प्रेशराईजेशन की स्थापना एन0बी0सी0 मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।

13–एग्जिट साईनेज:– प्रस्तावित भवन मे एग्जिट साईनेज की स्थापना निर्माण के उपरान्त एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

14–पी0ए0 सिस्टम– प्रस्तावित भवन मे पी0ए0 एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

15–प्रश्नगत भवन मे इमरजेन्सी/स्केप लाईटिंग एन0बी0सी0–2005 पार्ट–4 मे उल्लेखित प्राविधानों के अनुसार कराया जाना आवश्यक होगा।

16–भवन मे निर्माण के पश्चात व उपयोग से पूर्व भवन मे अधिष्ठापित अग्निशमन प्रणाली के कुशल संचालन व सदैव कार्यशील बनाये रखने हेतु एन0बी0सी0 पार्ट–4 के प्रस्तर सी0–5,सी–6,सी–7,सी–8 एवं सी–9 मे उल्लेखित मानको का पालन अनिवार्य होगा।

17–भवन के सम्पूर्ण अग्निशमन प्रणाली फायर लिफट, स्टेयरकेसों व कोरीडोर की लाइटों को वैकल्पिक उर्जा श्रोत से पृथक लाइन (वायरिंग) फायर सेफ डक्ट से सुरक्षित करते हुयें जोडा जाना आवश्यक होगा।

अतः उपरोक्तानुसार उपनिदेशक, फायर सर्विस मेरठ, मुख्य/अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर की संस्तुति आख्याओं के आधार पर मैसर्स अवधेश इन्फ्राटेक प्र0 लि0, द्वारा प्लाट न0–06ए0, सेक्टर–टेकजोन–4 ग्रेटर नौएडा जनपद–गौतमबुद्धनगर उ0प्र0 मे प्रस्तावित एजुकेशनल भवन के निर्माण हेतु प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत की जाती है कि आवेदक द्वारा भवन/इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्राविधान भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 तथा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया–2005 मे उल्लेखित मानको के अनुसार करायें जायेंगे तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थायें मानकों के अनुसार स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर स्थाई अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

संलग्नक: अनुमोदित मानचित्र।

(पी0के0राव)
संयुक्त निदेशक, फायर सर्विस,
उ0प्र0 लखनऊ।
फायर सर्विस मुख्यालय
उ0प्र0, लखनऊ

प्रतिलिपि: 1–उपनिदेशक, फायर सर्विस मेरठ परिक्षेत्र को सूचनार्थ।
2–मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3–अग्निशमन अधिकारी ईकोटेक–3 ग्रेटर नौएडा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4–मैसर्स अवधेश इन्फ्राटेक प्र0 लि0, प्लाट न0–06ए0, सेक्टर–टेकजोन–4 ग्रेटर नौएडा जनपद–गौतमबुद्धनगर को उक्त के सन्दर्भ मे अनुपालनार्थ।